UPGK010023942026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1017/2026,
1–राकेश चौधरी उर्फ राकेश सिंह पुत्र लाल सिंह
निवासी–रामनगर कड़जहॉ, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर।
2–विजय कुमार पुत्र भीम निषाद,
निवासी–चिताहरी, रामनगर कड़जहॉ, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर।
.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,
अपराध संख्या–53/2026
धारा–318(4), 351(3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–झॅगहा, जनपद गोरखपुर।

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण राकेश चौधरी उर्फ राकेश सिंह व विजय कुमार की तरफ से अपराध संख्या–53/2026 धारा–318(4), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना–झॅगहा, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा सीमा देवी ग्राम रामनगर कड़जहाँ, थाना खोराबार, जिला गोरखपुर की निवासिनी हैं। मौजा निवही थाना अंगहा जिला गोरखपुर में वादिनी मुकदमा की कृषि भूमिधरी है। घर से काफी दूर होने के कारण वादिनी मुकदमा से कृषि कार्य नहीं हो पाता है इसलिए उसने उक्त भूमि को विक्रय के लिए प्रस्ताव किया तथा ग्राम रामनगर फडजहाँ निवासी रेखई पुत्र मुनीलाल व रामहित पुत्र झिगूरी से वादिनी मुकदमा ने मु0 1625000 रुपये खाते से व नकद प्राप्त किया तथा विक्रय हेतु तय हुआ। वादिनी के ही गाँव के विजय पुत्र भीम, राकेश चौधरी पुत्र लाल सिंह, पिन्टू पुत्र बहादुर, नागेन्द उर्फ ठनठन वादिनी मुकदमा को झूठा विश्वास दिलाये कि आप के खाते में मैने पैसा मंगाया है निकाल दीजिये वादिनी मुकदमा को पूरा विश्वास दिलाकर दिनांक 13.05.2025 को वादिनी से वादिनी के खाते से 768000/– रुपये निकलवा कर ले लिए। दूसरे दिन वादिनी मुकदमा को जानकारी हुई कि उक्त लोगो ने उसके साथ धोखाधड़ी करके उसका पैसा ले लिया है तभी से वादिनी अपना पैसा वापस माग रही है जिसमें तीन बार थाना झगहॉ में पुलिस के साथ 5,67000/– वापस किये अभी 2,01,000/– बाकी था। बहुत प्रयास करने के बाद पिंटू द्वारा एक हफ्ता पहले 17,000 व नागेन्द्र द्वारा 5,000 रु दिया गया है अभी भी वादिनी मुकदमा का 1,79,000 बकाया है। वे लोग वादा करके पैसा नहीं दे रहे है तथा वादिनी मुकदमा को जान से मार कर खत्म कर देने की धमकी दे रहे है। विवेचना अभी प्रचलित है।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण तथा वादी मुकदमा के मध्य जमीन के खातेदारी के सम्बन्ध में विवाद हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल रू. 16,25,000/– में भूमि के विक्रय करने का सौदा तय हुआ था जिसमें रू. 7,68,000/– वादिनी से लेने का कथन किया गया है तथा जिसमें से अधिकतर धनराशि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही लौटा दी गई है। केवल रू. 1,79,000/– की धनराशि बकाया दिखाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वादिनी मुकदमा की कोई धनराशि बकाया नहीं है। सह अभियुक्त द्वारा बकाया धनराशि के बावत चेक दिया गया था।

आवेदकगण/अभियुक्तगण को पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। अतएव उपरोक्त समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य रूपये के लेन–देन का विवाद है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को धनराशि लौटाने का कथन किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर कोई साक्ष्य संकलन नहीं किया जाना है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण राकेश चौधरी उर्फ राकेश सिंह व विजय कुमार का उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। गिरफ्तार किये जाने की दशा में आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को सम्बन्धित थानाध्यक्ष/सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन रू. 25,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,
ख– यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास पासपोर्ट है तो वह इसे विवेचक/सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा,
ग– आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना में सहयोग करेंगे, एवं अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,
घ– आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किये जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,
ड.– आवेदकगण/अभियुक्तगण निष्पादित बंध–पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा,
च– आवेदकगण/अभियुक्तगण उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा,
छ– आवेदकगण/अभियुक्तगण मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन किय` जाने पर विचारण न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–30.04.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.04.30 18:37:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court